भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3641
उत्तर देने की तारीख-10/08/2026

राज्यों और जिलों हेतु कार्य निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक

†3641. **श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:**
क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए कार्य निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक (पीजीआई-एस) तथा जिलों के लिए कार्य निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक (पीजीआई-डी) के उद्देश्य क्या हैं तथा इनके कार्यान्वयन के माध्यम से क्या प्रमुख परिणाम प्राप्त हुए हैं;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान पीजीआई-एस के अंतर्गत आंध्र प्रदेश का कार्य निष्पादन तथा पीजीआई-डी के अंतर्गत विशेषकर पलनाडू जिले सहित उक्त राज्य के जिला-वार कार्य निष्पादन का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार द्वारा पीजीआई आकलनों के आधार पर सुधार की आवश्यकता वाले प्रमुख क्षेत्रों को चिह्नित किया गया है और यदि हां, तो आंध्र प्रदेश और पलनाडू जिला का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) कम कार्य निष्पादन वाले राज्यों और जिलों को अधिगम परिणामों, सुशासन, अवसंरचना और डिजिटल अधिगम में सुधार हेतु केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए सुधारात्मक उपायों, तकनीकी सहायता और वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या केंद्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश, विशेषकर से पलनाडु जिले सहित राज्यों और जिलों की पीजीआई रैंकिंग में सुधार लाने हेतु कोई लक्ष्य या समय-सीमा निर्धारित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 70-संकेतक आधारित प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक (पीजीआई) 2.0 तैयार किया है, जो राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर स्कूल शिक्षा के प्रमुख प्रेरक प्रदर्शन और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को मापता है। अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने आंध्र प्रदेश सहित वर्ष 2024-25 की तुलना में वर्ष 2025-26 में अपने स्कोर में सुधार किया है। पिछले तीन वर्षों के लिए पीजीआई 2.0 रिपोर्टों में आंध्र प्रदेश सहित राज्यों/संघ

राज्य क्षेत्रों का डोमेन-वार प्रदर्शन https://spgi.udiseplus.gov.in पर देखा जा सकता है। इसी तरह, पिछले 3 वर्षों के लिए जिलों का डोमेन-वार प्रदर्शन पीजीआई-डी रिपोर्ट में जारी किया गया है, जिसे https://dpgi.udiseplus.gov.in पर देखा जा सकता है। कुल 782 जिलों में से 473 जिलों ने 2024-25 की तुलना में वर्ष 2025-26 में अपने पीजीआई स्कोर में सुधार किया है।

(ग) से (ङ): पीजीआई 2.0 और पीजीआई-डी के संकेतकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के कार्यान्वयन के बाद शुरू की गई नीतिगत पहलों और मध्यवर्तनों के साथ प्रगति की उचित निगरानी के लिए समन्वित किया गया है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ पीजीआई 2.0 रिपोर्ट और पीजीआई-डी रिपोर्ट के निष्कर्ष साझा किए हैं, ताकि विस्तृत स्तर पर अंतरालों का सुझाव दिया जा सके और मध्यवर्तन के क्षेत्रों को प्राथमिकता देकर आगे सुधार किया जा सके, यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्कूल शिक्षा प्रणाली प्रत्येक स्तर पर सुदृढ़ हो। पीजीआई-डी स्कूल शिक्षा की प्रगति की राज्य के भीतर तुलना की भी जानकारी प्रदान करता है, जो जिला स्तर पर आवश्यक मध्यवर्तन का आकलन करने और जहां अपेक्षित हो, मध्य-मार्ग सुधार करने के लिए उपयोगी है, ताकि स्कूल शिक्षा में जिले के समग्र विकास को सुनिश्चित किया जा सके।

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक पर परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की बैठकों में चर्चा की गई है। राज्यों के प्रदर्शन के आधार पर, ऐसी पीएबी बैठकों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सुझाई गई गतिविधियों आकलन को अधिगम के रूप में शिक्षक प्रशिक्षण, राज्य पाठ्यपुस्तक विश्लेषण, एनसीईआरटी द्वारा तैयार की गई प्रारंभिक भाषा किट और प्रारंभिक गणित किट का उपयोग, शिक्षकों के लिए बाल-अनुकूल आकलन पद्धितयों में प्रशिक्षण, अधिगम स्तर में सुधार के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वोत्तम पद्धितयों का प्रलेखीकरण, आदि में शामिल हैं।

इसके अलावा, केंद्र सरकार समग्र शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करती है, जो प्री-प्रायमरी से वरिष्ठ माध्यमिक तक के सभी स्तरों को शामिल करने वाली स्कूल शिक्षा की एक व्यापक योजना है। सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियों के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूल खोलना/सुदृढ़ करना, स्कूल अवसंरचना को सुदृढ़ करना, कक्षा 12 तक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) की स्थापना, उन्नयन और संचालन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय नामक आवासीय स्कूलों/छात्रावासों की स्थापना, परिवहन भत्ता, नामांकन अभियान चलाना, सामयिक छात्रावास/आवासीय शिविर, स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा और आईसीटी सुविधाओं का प्रावधान, आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सहायक उपकरणों और यंत्रों, छात्रावास/आवासीय शिविर, स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा और आईसीटी सुविधाओं का प्रावधान, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें और निःशुल्क यूनिफॉर्म प्रदान करना, परिवहन/एस्कार्ट सुविधा, आदि के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
